राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/पदस्थापन/अलेसे II/384 दिनांकः– 17-04-25

परिपत्र

निदेशालय द्वारा आदेश सं. 245/2024–25 एवं 246/2024–25 दिनांक 15.01.2025 के द्वारा सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकारों के स्थानान्तरण/पदस्थापन किये गये थे किन्तु उक्त आदेशों की पालना में कुछ सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार द्वारा आदिनांक तक भी नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया गया है।

सक्षम स्तर से जारी स्थानान्तरण आदेशों की पालना में कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण नहीं करना एक अत्यन्त गम्भीर विषय है। अतः स्थानान्तरित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II/कनिष्ठ लेखाकार (माननीय न्यायालय से स्थगन प्राप्त कार्मिकों के अतिरिक्त) को निदेशालय स्तर से दिनांक 17.04.2025 को तुरंत प्रभाव से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल अपनी कार्यग्रहण की सूचना ई–मेल/डाक/दस्ती से इस निदेशालय को अविलंब भिजवाये, इसमें किसी भी प्रकार के विलंब अथवा लापरवाही को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए कार्मिकों के विरूद्ध नियोक्ता प्राधिकारी के आदेशों की अवहेलना किया जाना मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.4(ई)(1)(6)/विविध/पदस्थापन/अलेसे II/384 दिनांकः– 17-04-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. समस्त कोषाधिकारी...................................
3. संबंधित विभागाध्यक/कार्यालयाध्यक्ष को प्रेषित कर लेख है कि उक्त परिपत्र की पालना करवाया जाना सुनिश्चित करावे।
4. संबंधित कार्मिक .... सहायक लेखाधिकारी/कनिष्ठ लेखाकार को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे वर्ममान कार्यालय द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में स्वयं को कार्यमुक्त मानते हुए स्थानान्तरित/स्थान पर तत्काल कार्यग्रहण कर सूचना विभागीय ई–मेल पर भिजवाना सुनिश्चित करावें।
5. उपनिदेशक(एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय
7. निजी पत्रावली

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक(कार्मिक– II/ III)